वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अंतर्गत औक़ाफ के मुतवाल्लियों / प्रबंध समितियों के उत्तरदायित्व

धारा-36 के अंतर्गत वक़्फ़ का पंजीकरण

- प्रत्येक वक्फ़, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृजित किया गया हो या उसके पश्चात, बोर्ड के कार्यालय में रजिस्टर किया जायेगा।
- वक़्फ़ के पंजीकरण के लिए आवेदन मुतवल्ली/प्रबंध समिति या वाकिफ़ के वंशजों या हितधारी किसी भी मुसलमान द्वारा किया जा सकेगा।
- . पंजीकरण के लिए आवेदन बोर्ड कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://upsunniwaqfboard.org) से नियमानुसार आनलाइन किया जायेगा।
- प्रत्येक आवेदन/रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ वक्फ नामा की एक प्रति अथवा यदि ऐसा कोई वक्फ़-नामा निष्पादित नहीं किया गया है या उसकी प्रति प्राप्त नहीं की जा सकती तो उसमें वक़्फ़ के अस्तित्व, उसके स्वरुप और उसके उद्देश्यों की पूरी विशेषताएं होंगी जहाँ तक आवेदक को ज्ञात हों।

धारा- 42: वक़्फ़ के प्रबंध में किये गए परिवर्तन के सम्बन्ध में

- बोर्ड में पंजीकृत वक़्फ़ में यदि किसी वक़्फ़ के मुतवल्ली/प्रबंध समिति के सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफा दिए जाने या हटाए जाने के कारण प्रबंध में किसी परिवर्तन की दशा में, नया मुतवल्ली/प्रबंध समिति, बोर्ड को उस परिवर्तन के बारे में तुरन्त सूचित करेगा।

धारा- 44 के अंतर्गत वक़्फ़ का बजट

- वक़्फ़ का प्रत्येक मुतवल्ली/ प्रबंध समिति अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार कर 28 फरवरी तक बोर्ड को प्रेषित करेगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दर्शाया जायेगा।

धारा-46 के अंतर्गत वक़्फ़ के लेखाओं (अकाउंट) का विवरण के सम्बन्ध में

- प्रत्येक वक़्फ़ का मुतवल्ली/प्रबंध समिति वक़्फ़ से सम्बंधित नियमित लेखा-जोखा रखेगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त और व्यय का पूरा और सही लेखा (अकाउंट) विवरण तैयार कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक बोर्ड को प्रेषित करेगा।

धारा-50 के अन्तर्गत मुतवल्लियों/ प्रबंध समितियों के कर्तव्य

- बोर्ड के निर्देशों को इस अधिनियम के अनुसार कार्यान्वित/पालन करेगा;
- ऐसे विवरण और ऐसी जानकारी या ऐसे ब्यौरे प्रदान करें जो बोर्ड द्वारा समय समय पर मांगे/चाहें जाएं;
- वक़्फ़ सम्पत्तियों, लेखाओं (एकाउंट्स) या अभिलेखों और सम्बंधित दस्तावेज़ों का निरिक्षण की अनुमति;
- सभी लोक-देयों का भुगतान करें
- ऐसा कोई अन्य कार्य करें जिसे करने के लिए इस अधिनियम में अपेक्षा की गयी हो।

धारा-72 के अंतर्गत बोर्ड को देय वार्षिक अंशदान

- प्रत्येक ऐसे वक़्फ़ का मुतवल्ली/प्रबंध समिति, जिसकी वार्षिक आय पांच हज़ार से कम नहीं है, बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए बोर्ड को नियमानुसार अंशदान अदा करेगा।

वक़्फ़ संपत्ति पट्टा नियम 2014 (संशोधित 2020)

- किसी भी वक़्फ़ संपत्ति को किराये पट्टा करते समय वक़्फ़ संपत्ति पट्टा नियम 2014 (संशोधित 2020) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड